



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53799

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 8966 वर्ष 2026

देवराजआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यप्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता	:	धीरपाल सिंह, राहुल कुमार पांडे
प्रतिपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल कुमार पांडे और राज्य-प्रतिवादियों के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री विजेंद्र कुमार को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत यह जमानत आवेदन आवेदक देवराज की ओर से पुलिस स्टेशन बहसुमा, जिला मेरठ में पंजीकृत मामला अपराध संख्या 231 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाजविरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में परीक्षण की लम्बितता के दौरान जमानत पर रिहा करने के अनुरोध के साथ दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी परोक्ष हेतुक से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आपराधिक इतिहास के एक मामले का पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जा चुका है।

आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (बी) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में दुष्प्रेरण

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



या सहायता नहीं की है। उपरोक्त मामले के अतिरिक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक द्वारा न्यायिक प्रक्रिया से भागने या साक्षियों को प्रभावित करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 12.12.2025 से जेल में अवांछित स्थिति में पड़ा हुआ है, वचन देता है कि वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, यदि यह प्रदान की जाती है। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, परीक्षण के शीघ्र समापन की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मामलों के अलावा आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य मामला नहीं बताया है।

तथ्यों की संपूर्णता, मामले की प्रकृति और अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार किया जाता है।**

आवेदक **देवराज** को उपरोक्त मामले अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत बंधपत्र और दो विश्वसनीय जमानती, प्रत्येक समान राशि के प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए।

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक को (i) परीक्षण शुरू होने, (ii) आरोप तय होने और (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत अभिकथन दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा।

(iv) आवेदक को इस आशय का एक वचनबंध दाखिल करना होगा कि जब साक्षीगण परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक को निर्धारित प्रत्येक तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्णय के उद्देश्य से ही कही गई है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुणदोष पर राय के रूप में नहीं लिया जाएगा। परीक्षण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

17 मार्च, 2026

रवि प्रकाश

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।